(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

रुकमणी देवी बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 147 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	18.4.17	
18/4/17	रिपोर्ट शामिल होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी होकर पत्रावली दिनांक 11/5/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना (सीकर)	
11/5/17	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। P.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/7/17 को पेश हो।	
5/7/17	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। P.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/8/17 को पेश हो।	
28/8/17	हड़ताल होने पर काम प्रभावित। पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। P.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/10/17 को पेश हो।	
31/10/17	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/12/17 को पेश हो।	
22/12/17	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी की तामिल पूर्व में सम्यक रूप से हो चुकी है बावजूद तामिल मनु० बार-बार आवाज दिलाई गई जिसके बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीद्वारा प्रस्तुत राजस्व ग्राम सिरोही की जमाबंदी सं 2056 से 2059 के अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख०न० 221 222 246 247 248 251 252 253 254 255 303 किता 11 रकबा 12.21है कि खातेदारी हि० 1/10 प्रार्थीगण के नाम दर्ज होना पाया जाता है। जो नामा० सं 1481 के जरिये दर्ज हुई थी। नवीन सैटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि के नये ख०न० 326 327 371 372 373 376 377 378 379 380 381 442 किता 12 रकबा 12.21है कायम किये गये है जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। परन्तु नये ख०न० का जमाबंदी मे अंकन करते वक्त उक्त हिस्से कि खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के बजाय कापन प्रभु पुत्र गणपत के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत किया है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनो जमाबंदीयो से यह स्पष्ट है कि वर्तमान जमाबंदी मे भी प्रविष्टी पूर्व की भांति होनी चाहिए थी जो नही हुई। जो लेखन से होना पाई जाती है एवं लीपीकीय त्रुटि होना पाई जाती है। उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सिरोही के भूमि ख०न० 326 327 371 372 373 376 377 378 379 380 381 442 किता 12 रकबा 12.21है० राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज प्रभु पुत्र गणपत हि० 1/10 के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज कर [illegible] राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करे अर्थात 1/10 हि० मे प्रभु पुत्र गणपत के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। जा० (जगदीश प्रसाद गौड) (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना	